ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 255-260

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

जनपद गाजीपुर में कृषि संसाधनों का विवरण

शालिनी सिंह

शोध अध्येत्री– भूगोल विभाग, स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय – गाजीपुर, (उ0प्र0) भारत

Received-16.12.2022, Revised-21.12.2022, Accepted-27.12.2022 E-mail: sweety08899@gmail.com

सारांशः ***भूमि संसाधनों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी दो–तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान उत्पन्न करती है। खाद्यानों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगो के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन अनेक भौतिक तथा आर्थिक तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। जलवायु, मिट्टियाँ, जल तथा धरातल कृषि के भौतिक निर्धारक तत्व हैं जो कृषि के स्वरूप को प्रभावित करते है। पृथ्वी के निवासित धरातल का अधिकांश भाग कृषि द्वारा घिरा हुआ है। वे क्षेत्र जिसमे कृषि करना अत्यंत कठिन है या लाभप्रद नहीं है, मानवीय निवास की कृष्टि से लगभग रिक्त है। कृषि राष्ट्रीय विकास का मुख्य आधार है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बंधित होने के कारण समस्त जनसंख्या से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। कृषि का उचित ढंग से विकास होने पर ही सम्पूर्ण देश का वास्तविक विकास हो सकेगा तथा आर्थिक वृद्धि या विकास की समस्या का समाधान भी सम्भव हो सकेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रखंड को विकसित करने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं लेकिन कतिपय कारणों से आशातीत सफलता नही मिली जिससे भूमि संसाधनों एवं जनसंख्या के मध्य असंतुलन से वृद्धि हुई है तथा विभिन्न क्षेत्रो के संतुलित विकास में यह प्रखंड अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकता है।***

कुंजीभूत शब्द– भूमि संसाधन, राष्ट्रीय विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, निवासित धरातल, असंतुलन, लाभप्रद, कृषि प्रखंड।

उद्देश्य– 1. अध्ययन क्षेत्र में मौजूदा भूमि संसाधन उपयोग की समीक्षा करना। 2. भूमि संसाधनों के परिवर्तित प्रारूप के आधार पर कृषि संसाधनों का विश्लेषण करना। 3. गाजीपुर जनपद में शस्य प्रतिरूप एवं कृषि विलक्षणताओं की व्याख्या करना। 4. जनपद में शस्य गहनता सूचकांक का विवरण प्रस्तुत करना। 5. गाजीपुर जिले में विकासखण्डवार सिंचाई सुविधाओं को प्रस्तुत करना। 6. कृषि विकास के लिए नई तकनीकों का विकास हो।

विधितंत्र– प्रस्तुत शोध पत्र में अनुभवात्मक, अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधितंत्रों का प्रयोग करते हुए अध्ययन क्षेत्र के कृषि संसाधनों का विश्लेषण करने के सम्बन्ध में आँकड़ों और तथ्यों का संग्रह कर प्रबंध की योजना प्रस्तुत की गयी है।

अध्ययन–क्षेत्र– गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जो कि वाराणसी मण्डल का पूर्वी हिस्सा है। जिसका 1818 में एक अलग जिले के रूप में गठन किया गया था। यह 25०19′ और 25०54′ उत्तरी अक्षांश तथा 83०4′ और 83०58′ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह स्थान समुद्रतल से 67.50 मीटर ऊपर है। पूर्व से पश्चिम तक जिले की लम्बाई 90 किमी० है और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 64 किलोमीटर है। एक ओर गंगा नदी और दूसरी तरफ कर्मनासा नदी बिहार राज्य से इस जिले को अलग करती है। यह दक्षिण में चंदौली, उत्तर में मऊ, पूर्व में बलिया और बिहार राज्य, पश्चिम में जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़ से घिरा है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3377 वर्ग किमी० है।

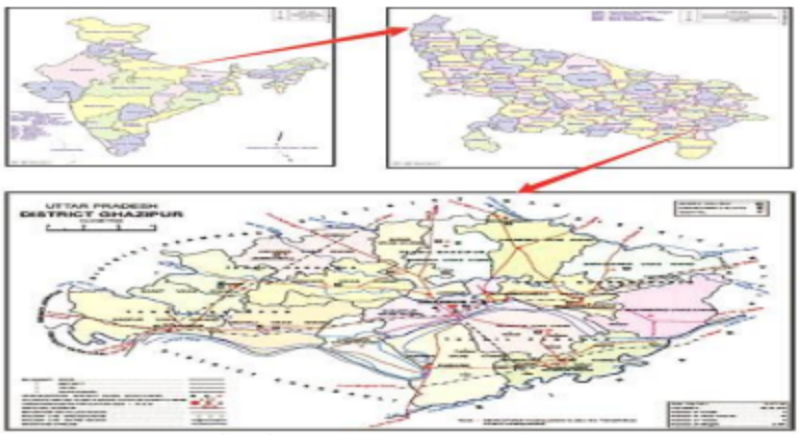

उत्तर प्रदेश में जनपद गाजीपुर का स्थान मानचित्र

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

कृषि संसाधन– भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि एक आधारभूत संसाधन है। जिसमें अधिकांश श्रम लगा हुआ है। विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ–साथ अनेकों उद्योगों जैसे सूतीवस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, दुग्ध उद्योग इत्यादि के लिए कच्चे सामग्री की पूर्ति करता है। यद्यपि कि आर्थिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन के कारण कृषि लाभ का संसाधन नहीं बन पाया फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था का निर्धारक है। मानवीय भू–दृश्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, उद्योग और व्यापार सभी पहलुओं पर कृषि का प्रत्यक्षध्अप्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

मैककार्टी के अनुसार "कृषि को फसलों तथा पशुओं के सोद्देश्य देख रेख की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है।"[1] कृषि का इतिहास विभिन्न कालक्रमों में भिन्न–भिन्न स्थितियों एवं परिवर्तन से गुजरा है। सबसे अधिक ध्यान कृषि पर स्वतंत्रता के बाद खाद्यान की आपूर्ति हेतु दिया गया, इस तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि पर समर्पित कर दिया गया। इसी के क्रम में प्रथम तथा द्वितीय हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। जिसमें उन्नतशील बीज, उर्वरक कीटनाशक सिंचाई सुविधा आदि पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे कृषि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच सका।

भूमि संसाधन उपयोग– भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यह सभी महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए आधार उपलब्ध कराता है।2 किसी क्षेत्र के विकास में वहाँ के संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि होती है। यही कारण है कि गंगा–यमुना का मैदान उच्च जनघनत्व एवं पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर विरल जनसंख्या निवास करती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूमि कितना महत्वपूर्ण संसाधन है।

शोध क्षेत्र की भूमि का मुख्य उपयोग कृषि कार्य है, अतः सम्पूर्ण कृषि भूमि को कृष्य योग्य और अकृष्य योग्य भूमि में विभाजित किया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि में कृषित भूमि, चारागाह भूमि, परती भूमि, कृषि योग्य परती भूमि, उद्यानों के अन्तर्गत आने वाली भूमि को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह कृषि अयोग्य भूमि में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त भूमि, नहर, सड़क, कृष्येत्तर सभी भूमियों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए कृषि के साथ–साथ अन्य वैकल्पिक उद्यमों का होना अति आवश्यक है। राजस्व विभाग के जनपद गाजीपुर का कुल प्रतिवेदित क्षे० 333214 हे० है जिनके उपयोग का ब्यौरा निम्नांकित है :

सारणी–1.1

जनपद गाजीपुर : भूमि संसाधन के प्रारूप में परिवर्तन

क्र० सं०	भूमि उपयोग के संवर्ग	क्षेत्र (हेक्टेयर और प्रतिशत में)		
		2017–18	2018–19	2019–20
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	334214 (100)	333214 (100)	333214 (100)
2.	वन	111 (0.3)	111 (0.3)	111 (0.3)
3.	कृषि बेकार भूमि	3347 (1.00)	3161 (0.95)	3161 (0.95)
4.	वर्तमान परती	9198 (2.75)	7861 (2.36)	7861 (2.36)
5.	अन्य परती	2498 (0.75)	2498 (0.75)	2498 (0.75)
6.	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	2950 (0.89)	2950 (0.89)	2950 (0.89)
7.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	51120 (15.29)	51195 (15.33)	51195 (15.33)
8.	चारागाह भूमि	630 (0.19)	1392 (0.42)	1392 (0.42)
9.	उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	4478 (1.34)	4472 (1.34)	4472 (1.34)
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	259682 (77.75)	259574 (77.90)	259574 (77.90)

स्त्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद : गाजीपुर, 2021

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

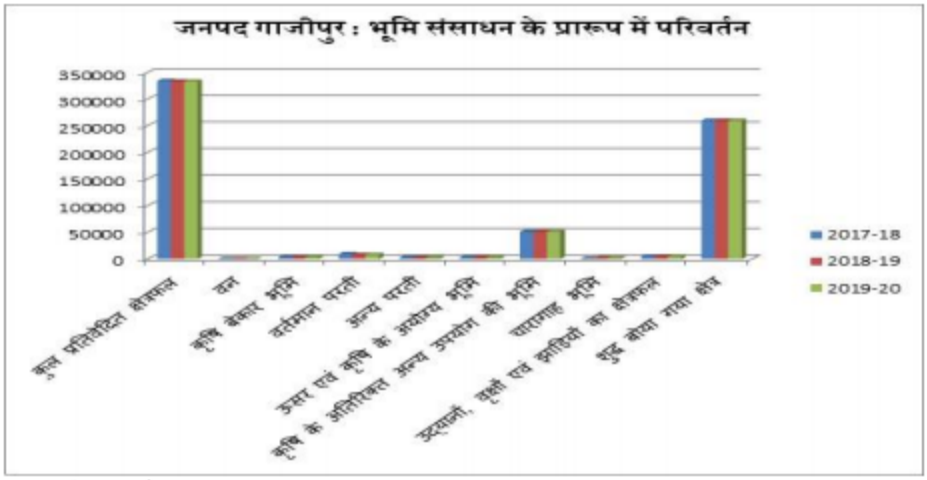

सामान्य भूमि उपयोग– अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर 2017–18 से 2019–20 के बीच कृषि भूमि उपयोग में तीव्र परिवर्तन नहीं दृष्टिगोचर होता है। प्रतिवेदित कुल भूमि 2017–18 में 334214 थी जिसमें कृषि बेकार भूमि 1.0% वन 0.3% वर्तमान परती 2.75% अन्य परती 0.75% ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 0.89% कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 15.29% चारागाह भूमि 0.19% उद्यानों वृक्षों एवं झाड़ियों में 1.34% शुद्ध बोया गया क्षेत्र 77.75% था। वर्ष 2018–19 में कुल प्रतिवेदित भूमि में कमी आती है, उपलब्ध कुल भूमि 333214 में से वन भूमि 0.3% कृषि बेकार भूमि 0.95% वर्तमान परती भूमि 2.36% अन्य परती भूमि 0.75% ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 0.89% कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 15.33% चारागाह भूमि 0. 42% उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल 1.34% शुद्ध बोया गया क्षे० 77.90% है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2018–19 में भूमि उपयोग के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, जबकि 2018–19 से 2019–20 में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है।

शस्य प्रतिरूप एवं कृषि विलक्षणताएँ– किसी भी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रतिरूप को शस्य प्रतिरूप कहा जाता है।3 कृषि प्रधान क्षेत्रों में शस्य प्रतिरूप एवं कृषि विलक्षणताओं का स्थानिक कालिक विश्लेषण वहाँ की वर्तमान अर्थव्यवस्था के स्पष्टीकरण के साथ ही विभिन्न शस्यों का सापेक्षिक विवरण एवं उसके क्षेत्रीय महत्त्व को स्पष्ट करता है।[4]

अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है, इसमें शस्य प्रतिरूप में अत्यधिक परिवर्तन दिखाई देता है। इसके पीछे विभिन्न प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारको तथा नई कृषि तकनीकी, उन्नतशील बीज खाद्य आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। शस्य स्वरूप का तात्पर्य अनेक फसलों के क्षेत्रीय वितरण द्वारा अभिजनित प्रारूप से है।[5] शिक्षा एवं तकनीकी विकास तथा कृषि के जनदबाव पर कमी क्षेत्र के कृषकों द्वारा अपनाये जाने वाले शस्य प्रतिरूप में विभिन्नता आती है। अध्ययन क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप की व्याख्या निम्न सारणी के सहयोग से किया जा सकता है। जिसका आधार अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार बोया गया क्षेत्रीय विभिन्नता है।

सारणी–1.2

जनपद गाजीपुर में वर्ष 2017–18 से 2019–20 मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वर्ष	गेहूँ	चावल	दालें	तिलहन	गन्ना
2017–18	191205	154945	16464	725	5526
2018–19	191205	154945	16464	725	5526
2019–20	191205	154945	16458	724	5526

स्त्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद–गाजीपुर, 2021

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद गाजीपुर के मुख्य फसल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है।

शस्य गहनता– शस्य गहनता का आशय एक फसल वर्ष में एक कृषि क्षेत्र पर उगायी जाने वाली फसलों की संख्या से है। दूसरे शब्दों में, शस्य गहनता का आशय सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष के उस कृषि क्षेत्र से है, जिस पर वर्ष के भीतर एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, शुद्ध कृषित भूमि में द्विशस्यीय एवं बहुशस्यीय क्षेत्र के योग को कुल शस्यान्तर्गत

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

क्षेत्र कहते हैं।[6]

सारणी–1.3

जनपद गाजीपुर : विकासखण्डवार शस्य गहनता

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	शस्य गहनता (प्रतिशत में)		
		2017–18	2018–19	2019–20
1.	जखनिया	168.77	185.64	186.91
2.	मनिहारी	163.25	178.76	179.92
3.	सादात	175.02	193.42	194.80
4.	सैदपुर	153.77	166.95	167.94
5.	देवकली	158.56	172.93	174.00
6.	विरनो	165.76	181.89	183.09
7.	मरदह	170.15	187.36	188.64
8.	गाजीपुर	176.22	187.19	196.32
9.	करंडा	140.50	150.45	151.33
10.	कासिमाबाद	178.76	198.07	199.52
11.	वाराचवर	158.75	173.16	174.24
12.	मोहम्मदाबाद	156.65	170.54	171.59
13.	भाँवरकोल	129.21	136.38	136.91
14.	जमानिया	174.09	192.26	193.62
15.	रेवतीपुर	126.38	132.86	133.35
16.	भदौरा	142.31	152.70	153.47
	औसत	158.58	172.48	174.06

स्त्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद–गाजीपुर, 2021

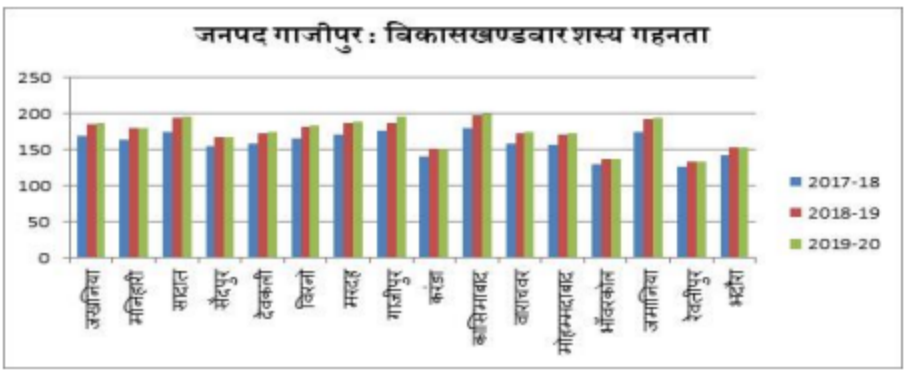

अध्ययन क्षेत्र में शस्य गहनता सूचकांक का औसत 2017–18 में 15.58 प्रतिशत है, जो आगे 2018–19 में बढ़कर 172.48 प्रतिशत हो गया और फिर इसी तरह 2019–20 में भी बढ़कर यह 174.06 प्रतिशत हो गया। शस्य गहनता पर भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः सूचकांक के क्षेत्रीय वितरण में विविधता मिलती है।

सिंचाई एवं सिंचाई गहनता– अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की प्रमुख प्रणालियाँ प्रचलित है। जिसमें प्रमुखतः निजी नलकूपों के द्वारा अत्यधिक क्षेत्रों की सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

होती है। सिंचाई के अन्य साधन भी गौण रूप से प्रयोग किये जाते है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सिंचाई गहनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की गहनता अल्प होती है उन क्षेत्रों की उत्पादकता प्रभावित होती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति रहती है। वहाँ पर जल की उपलब्धता बढ़ाकर मृदा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है और जिन क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति रहती है उन क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था करके कृषि क्षेत्रों एवं उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई गहनता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

उपर्युक्त सूत्र के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में प्राप्त सिंचाई गहनता को सारणी 1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–1.4

जनपद गाजीपुर : सिंचाई गहनता (2019–20)

क्र० सं०	विकासखण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई गहनता
1.	जखनिया	29326	15851	185.01
2.	मनिहारी	32562	17540	185.64
3.	सादात	31835	16885	188.54
4.	सैदपुर	24645	16226	151.89
5.	देवकली	24719	15653	157.92
6.	विरनो	23608	14005	168.57
7.	मरदह	27688	14546	190.35
8.	गाजीपुर	20432	11655	175.31
9.	करंडा	13364	9852	135.65
10.	कासिमाबाद	35732	18089	197.53
11.	वाराचवर	24977	15325	162.98
12.	मोहम्मदाबाद	20317	10833	187.55
13.	भाँवरकोल	15654	10786	145.13
14.	जमानिया	35620	17348	205.33
15.	रेवतीपुर	17153	13946	123.00
16.	भदौरा	22533	9391	239.94
	योग ग्रामीण	400165	227931	175.56
	योग नगरीय	145	1747	8.29
	योग जनपद	400310	229678	174.29

स्त्रोत : 1. भूलेख अधिकारी, गाजीपुर 2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, गाजीपुर

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड भदौरा में 239.94 प्रतिशत एवं जमानिया में 205.33 प्रतिशत सर्वाधिक सिंचाई गहनता प्राप्त हुई है। जबकि सबसे कम सिंचाई गहनता का प्रतिशत विकासखण्ड रेवतीपुर में 123.00 एवं करंडा में 135.65 पायी गयी है।

निष्कर्ष– गाजीपुर जनपद में कृषि संसाधनों के विवरण के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जनपद की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। यहाँ पर ऊसर बंजर एवं परती भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर कृषि कार्य किया जाता है। जनपद में भूमि संरक्षण के योजनाओं में क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय भूमि संरक्षण एवं ऊसर सुधार नाम का इकाई का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, इसकी सहायता से बंजर भूमि एवं उपयुक्त बेकार भूमि को आधुनिक तकनीक के माध्यम से उपजाऊ बनाया जाता है। कृषि के विकास के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण अवस्थापना है। जनपद में सिंचाई

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

के स्त्रोतों का विस्तार योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। जनपद के सम्प्रति नहरों, पम्पसेटों कुओं, राजकीय नलकूपों एवं तालाबों से सिंचाई की जाती है। यह निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। यह निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए सिंचाई साधनों की संख्या बढ़ाई जाय। इस प्रकार जनपद में कृषि संसाधन के विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से कृषि कार्य को विकसित करने का प्रयास किया रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० मौर्य., एस. डी. (2019), ''संसाधन भूगोल'', प्रवालिका पब्लिकेशन्स इलाहबाद, पृ० सं० – 257.
2. सिंह, उर्मिलेश (2002), ''बलिया जनपद के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन'', पृ० सं० – 143.
3. डॉ० पाण्डेय, पारस नाथ (2011), ''गाजीपुर जनपद में कृषि व्यापारीकरण की समस्याएँ एवं नियोजन– एक भौगोलिक अध्ययन'', पृ० सं० – 203.
4. ओझा, सुनील कुमार (2005), ''जनपद–मऊ (उ० प्र०) के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन'', पृ० सं० – 160.
5. सिंह, बी०बी०, (1979), ''कृषि भूगोल'' तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी पृ० सं० – 141.
6. डॉ० सिंह, काशीनाथ (2007), ''कृषि भूगोल'', मेट्रो पब्लिकेशन एंड डिस्ट्री दिल्ली, पृ० सं० – 169.
7. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद गाजीपुर, 2021.

*****